

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0 विभाग,  
वाराणसी

पत्रांक 2952/1.C.B.

दिनांक 4.3.2025

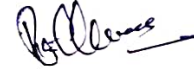
सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य  
ज्ञानदीप एकेडमी  
चितईपुर, वाराणसी।

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रश्नगत विद्यालय ज्ञानदीप एकेडमी चितईपुर, वाराणसी की जाँच इस खण्ड के अवर अभियन्ता द्वारा किया गया और पाया गया कि विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में निहित मानकों के अनुरूप बना है।

अतः उक्त विद्यालय भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।



अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0 विभाग,  
वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड  
लो0नि0 विभाग  
वाराणसी

प्रतिलिपि: संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल वाराणसी को प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0 विभाग,  
वाराणसी।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (नर्सरी से कक्षा-12 वीं तक) हेतु चेकलिस्ट

| क्र.सं. | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु                                                                                                   | जांच आख्या |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | भवन की चेकलिस्ट-                                                                                                                 |            |
| 1.      | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?                                                               | हां        |
| 2.      | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?                                                       | ॥          |
| 3.      | क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?                                                                                              |            |
| 4.      | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?                                                         | हां        |
| 5.      | क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?                                                                                     | ॥          |
| 6.      | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?                                       | ॥          |
| 7.      | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?                                                               | ॥          |
| 8.      | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?                                                              | ॥          |
| 9.      | क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?                    | R.C.C.     |
| 10.     | क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?                                                                     | नहीं       |
| 11.     | क्या भवन की दीवारों/छतों में कैक है?                                                                                             | ॥          |
| 12.     | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?                                            | हां        |
| 13.     | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?                                   | हां        |
| 14.     | क्या खिलाड़ियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | हां        |
| 15.     | क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?                                                                                             | हां        |

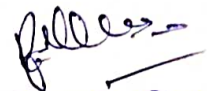
12

अधिकासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड  
लो० निर्माण विभाग  
वाराणसी



| क्र.सं. | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु                                                                                                      | जांच आख्या |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.     | क्या कक्ष में दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?                                                              | हं         |
| 17.     | क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?                                         |            |
| 18.     | क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?                       | हं         |
| 19.     | क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं? | //         |
| 20.     | क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?                                | //         |
| 21.     | क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?                                           | ✓          |
| 22.     | क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित हैं?                                                | //         |

9

  
 अधिरासी अभियन्ता  
 प्रांतीय राण्ड  
 लो निर्माण विभाग  
 रासरासी